न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 179/11 **निर्णय दिनांकः— 21.08.2018**

1. सुभान खॉ
2. रहीमा

पुत्र/पुत्रियॉ अमीर जाति मुसलमान निवासी चक 14 केएचएम तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

—अपीलांटस

—बनाम—

1. अब्दुल सत्तार पुत्र अलाबसाया जाति मुसलमान निवासी चक 14 केएचएम तसहील खाजुवाला जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 20—08—2007
उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला

उपस्थितः—

1. श्री जयचन्दलाल सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री राधाकिसन स्वामी, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के आदेश दिनांक 20—08—2007 जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीके से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को स्मालपेच में आवंटित की गई है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष को सुना गया।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि चक 14 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 1 ता 4, 8, 9, 13 तादादी 6 बीघा 18 बिस्वा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के संयुक्त हिस्सेदार हाजी अताऊखॉ वगैरा 1/3 हिस्सा, अब्दुल रहमान, अब्दुल सत्तार पिसरान अल्लाबसायाा वगैरा 1/3 हिस्सा, किला नम्बर 11, 12, 16 ता 19, 20, 21, 22 ता 25 तादादी 11 बीघा 14 बिस्वा जैनक पुत्री अल्लाबसाया 1/7 हिस्सा दिलावर पुत्र अल्लाबसाया 5/7 हिस्सा, मांगे खॉ पुत्र गुलमंद 1/7 हिस्सा व किला नम्बर 10, 14, 15 तादादी 2 बीघा 18 बिस्वा भूमि आराजीराज एवं किला नम्बर 5, 6, 7 अपीलांट्स के नाम से दर्ज रिकार्ड है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांटास् को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये, बिना नोटिस दिये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित कर दी गई। उक्त आवंटन से पूर्व अपीलांट व अन्य सह काश्तकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किये रेस्पोडेन्ट को मनमाने ढंग से स्मालपेच में आवंटन कर दिया गया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है। जबकि स्मालपेच में प्रथम वरीयता अपीलांट की बनती है।

आराजी जैर रकबा अपीलांट्स के धारण के मुरब्बे में ही निहित भूमि है। जिस पर आवंटन की प्रथम वरियता अपीलांट की ही बनती है। अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट का आवंटन बिना वरियता के किया गया है। स्मालपेच आवंटन नियमों के अनुसार किसी भी आवंटन से पूर्व सभी चिपते काश्तकारों को नोटिस दिया जाना आवश्यक है। अदालत मातहत की तमाम कार्यवाही सुनियोजित तरीके से आराजी जैर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन किये जाने की नियत से की गई है। अदालत मातहत द्वारा बिना रिकार्ड व उपलब्ध दस्तावेजों, साक्ष्यों का अवलोकन किये मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को लाभ पहुॅचाने की की गरज से सरासर एकतरफा तौर समस्त कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है।

तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार भी अपीलांट व अन्य चिपते काश्तकारों की वरियता का निर्धारण किया गया था। जिस पर अपीलांट व अन्य सह काश्तकारों को नोटिस की प्रक्रिया विधिक रूप से अपनाये बिना यह कथन करते हुए कि नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए। जबकि ऐसा कोई नोटिस अदालत मातहत द्वारा चिपते काश्तकारों को जारी ही

नहीं किया गया है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि अदालत मातहत द्वारा चक 14 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 20/2 में किला नम्बर 10, 14, 15 में 2 बीघा 18 बिस्वा भूमि भूमि का आवंटन बाबत् संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट ली जाकर वरियता के आधार पर किया गया है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा निर्धारित राशि भी जमा करवाई जा चुकी है। अपीलांट का यह कथन कि वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व उन्हें किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है स्वीकार योग्य कथन नहीं है।

अदालत मातहत द्वारा संबंधित तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर सभी चिपते काश्तकारों को विधिवत रूप से नोटिस जारी किया गया है। उक्त नोटिस तामील उपरान्त अदालत मातहत को प्राप्त होने के उपरान्त ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत् भूमि का आवंटन विवादरहित होने एवं प्रार्थी के धारण की भूमि के चिपते एवं उसी मुरब्बे में निहित होने के आधार पर किया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन पश्चात् तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाते हुए कब्जा प्राप्त कर लिया गया है। ऐसी स्थिति में वादगत् भूमि के आवंटन की तमाम प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अदालत मातहत द्वारा विधि सम्मत तरीके से वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांटान की अपील खारिज फरमाई जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. **(अ)** प्रस्तुत मामलें में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि चक 14 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 20/2 के किला नम्बर 10, 14, 15 की 2 बीघा 18 बिस्वा भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बतौर स्मालपेच किया गया है। जिससे व्यथित होकर उक्त अपील अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(ब) इस संबंध में हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अदालत मातहत की पत्रावली के साथ संलग्न नजरी नक्शा से स्पष्ट है कि आराजी जैर व उसके चिपते मुरब्बें में रामत बेवा अमीर, हाजी अतारू खॉ, गुलाम खॉ, मंजूर खॉ, अनवर पिसरान फतेहखॉ, जैनक पुत्री अल्लाबसाया, राजेन्द्र प्रसाद, कमलो बेवा नाजू खॉ आदि कृषकों की भूमि दर्शाते हुए वरीयता तो निर्धारित की गई है, किन्तु आराजी जैर के आवंटन से पूर्व किसी भी चिपते काश्तकार को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है।

(स) अदालत मातहत की पत्रावली के साथ संलग्न नोटिस का भी अवलोकन किया गया। उक्त नोटिस में एकतरफ तो दिलावर की अंगूठा निशानी अंकित की गई है वहीं दूसरी तरफ अंकित किया गया है कि प्रार्थी मौके पर नहीं मिला एक कॉपी चस्पा की गई। इस प्रकार नोटिस की पुश्त पर की गई दोनों रिपोर्ट अपने आप में विरोधाभासी है तथा शेष काश्तकारों के नोटिस तामील के बाबत् किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट पत्रावली पत्र उपलब्ध नहीं है।

(द) अदालत मातहत द्वारा एकतरफा तौर पर चिपते काश्तकारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन किया गया है, जो राजस्थान उपनिवेशन(इगानप क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 14 (1) के विपरीत होने से काबिल खारिज है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला दिनांक 20—08—2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में सभी चिपते काश्तकारों को विधिवत रूप से नाटिस जारी करते हुए सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें।

9. निर्णय आज दिनांक 21.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर